UPBR010056102019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।

उपस्थित : **रामानन्द, उच्चतर न्यायिक सेवा,**

विशेष वाद सं0–315/2019

Spl. Case E.c Act/141/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी

बनाम

कोमिल प्रसाद पुत्र फतेहचन्द,

निवासीः ग्राम मझौआ गंगापुर, थाना भोजीपुरा, बरेली। .....अभियुक्त

मु0अ0सं0–515/2018

धारा–138 विद्युत अधिनियम

थाना–एण्टी पॉवर थेप्ट, बरेली।

निर्णय

1– अभियुक्त कोमिल प्रसाद के विरूद्ध थाना एण्टी पॉवर थेप्ट, जिला बरेली की पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र, विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक 31.07.2018 को समय करीब 15:20 बजे बहद स्थान मड़ौआ गंगापुर, थानाक्षेत्र भोजीपुरा, जिला बरेली में वादी निर्भय नरायण सिंह व विद्युत चेकिंग टीम के अन्य सदस्यों के साथ दौरान चेकिंग, आप द्वारा विद्युत बिल बकाया के आधार पर काटे गये विद्युत कनैक्शन को अवैध रूप से पुनः जोड़कर विद्युत की चोरी से उपभोग करते हुए पाया गया।

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अपराध संख्या 515/2018 धारा 138 विद्युत अधिनियम के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। चिक० एफ०आई०आर० व मुकदमा कायमी की जी०डी० की छाया प्रति, संलग्न पत्रावली है।

4– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्षियों का बयान लेखबद्ध किया गया। घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया तथा विवेचना उपरान्त अभियुक्त कोमिल प्रसाद के विरूद्ध

पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अन्तर्गत धारा 138 विद्युत अधिनियम का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2026 को अभियुक्त कोमिल प्रसाद के विरूद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया।

5– अभियोजन की तरफ से सौरभ सिंह (पी०डब्लू०–1) को परीक्षित कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा आदेश पत्रक पर अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन किया गया है। तद्नुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

6– अभियुक्त कोमिल प्रसाद का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया।

7– उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन, परिशीलन किया।

8– न्यायालय के समक्ष मुख्य <u>विचारणीय प्रश्न</u> यह है कि, क्या दिनांक 31.07.2018 को समय करीब 15:20 बजे बहद स्थान मड़ौआ गंगापुर, थानाक्षेत्र भोजीपुरा, जिला बरेली में वादी निर्भय नरायण सिंह व विद्युत चेकिंग टीम के अन्य सदस्यों के साथ दौरान चेकिंग, आप द्वारा विद्युत बिल बकाया के आधार पर काटे गये विद्युत कनैक्शन को अवैध रूप से पुनः जोड़कर विद्युत की चोरी से उपभोग करते हुए पाया गया। ?

<u>निष्कर्ष</u>

9– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि, अभियुक्त ने विद्युत विभाग में समस्त बकाया धनराशि जमा कर दिया है, कोई शेष धनराशि देय नहीं है, अभियुक्त दोषमुक्ति का मुस्तहक है।

10– अभियोजन <u>साक्षी सौरभ सिंह</u> (पी0डब्लू0–1) ने साक्ष्य दिया है कि, दिनांक 31.07.2018 को प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार अपनी चेकिंग टीम के साथ ग्राम मझौआ गंगापुर थाना भोजीपुरा में चेकि किया तो पाया कि अभियुक्त कोमिल प्रसाद पुत्र फतेहचन्द का विद्युत कनेक्शन पूर्व में 15016 रूपये पर काटा गया था जो मौके पर जुड़ा मिला जो बकाये पर काटा गया था। अभियुक्त का अपराध धारा 138 ई.सी.एक्ट, के अन्तर्गत आता है। मूल रूप से तहरीर पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क 4,000 रूपये व विद्युत बिल 15605 रूपये विभाग में जमा कर दिया है। अधिसासी अभियंता का पत्र मूल रूप में पत्रावली में

दाखिल किया जा रहा है, जिसमें मुकदमा समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

11– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त कोमिल प्रसाद द्वारा शमन शुल्क एवं निर्धारण धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है। इस प्रकार अभियुक्त पर विभाग का कोई बकाया शेष नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम को आरोप सिद्ध नहीं होता है, फलतः अभियुक्त धारा 138 विद्युत अधिनियम के आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कोमिल प्रसाद को धारा 138 विद्युत अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(रामानन्द)
विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6393

दिनॉक–05.06.2026

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर दोषमुक्त को पढ़कर सुनाया गया।

(रामानन्द)
विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–4, बरेली।
जे.ओ. कोड यू.पी. 6393

दिनॉक– 05.06.2026

————————————

Digitally signed by RAMANAND
Date: 2026.06.06 14:15:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court